

## कार की टक्कर से मिठाई विक्रेता की मौत

मौदीनगर, 23 अगस्त (जनसत्ता)।

मुरादनगर की न्यू डिफेंस कॉलोनी में दुकान के बाहर बैठे दुकान स्वामी को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस हादसे में दुकान स्वामी की मौत हो गई। मुरादनगर की न्यू डिफेंस कॉलोनी निवासी सतपाल सिंह मिठाई की दुकान करके परिवार का लालन चलाकर करते हैं। रक्षाबंधन पर्व होने के कारण देर रात तक दुकान खुली थी। सतपाल सिंह अपनी दुकान के बाहर बैठे हुए थे। इसी बीच तेज रफ्तार कार आई और अनियंत्रित होकर सतपाल सिंह में टक्कर मार दी। सतपाल सिंह कई फीट उछलकर उसकी मौत हो गई।

**PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING**  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रायन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266  
शाखा कार्यालय : तीसरा तल, कैपिटल हाऊस बिल्डिंग, 2-लिनक मार्ग, लखनऊ-226001

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8(1) देखें)  
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

**जैसा कि,** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने सरकारी अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि **08.06.2021** रव. श्रीमती सया जोन के कानूनी उत्तराधिकारी एवं अध्याधारक **आशीष अशोक कुमार** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **₹. 7,09,971.82/-** (रुपये सात लाख नौ हजार नौ सौ इकत्तर एवं चार पैसे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

अध्याधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अध्याधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **19 अगस्त 2021** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अध्याधारक को तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय को बकाया **₹. ₹. 7,09,971.82/-** (रुपये सात लाख नौ हजार नौ सौ इकत्तर एवं चार पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। अध्याधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
खसरा संख्या 821 SA, मापन 840वर्ग फीट (788 वर्गमीटर) बार्ड खारीका तहसील सरोजनी नगर गिन में स्थित प्लाट के भाग पर बनी हुई सम्पत्ति के सभी हिस्सा और पार्सल में स्थित है, जो ग्राम खारिका, मनशा वेलेस, खारिका जिला लखनऊ यूपी - 226008 में स्थित है।  
सीमाएं:  
उत्तर द्वारा : भूमि के दूसरे भाग पर मकान  
दक्षिण द्वारा : प्लॉट दीवार  
पूर्व द्वारा : बिकेता का प्लॉट  
पश्चिम द्वारा : 16 feet चौड़ा रोड  
दिनांक: 19.08.2021  
स्थान : लखनऊ  
प्राधिकृत अधिकारी  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

# पूर्व सपा विधायक इंदल रावत पर मुकदमा दर्ज

लखनऊ, 23 अगस्त (भाषा)।

समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इंदल रावत के खिलाफ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने, छेड़छाड़ व मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि मलिहाबाद सीट से सपा के विधायक रह चुके इंदल कुमार रावत, उनकी पत्नी ज्ञानवती, बेटों पंकज और नरेंद्र व भाई मिश्रीलाल समेत 19 नामजद व सात-आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ जानकीपुरम

थाने में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जानकीपुरम थाना क्षेत्र के मड़ियांव गांव की रहने वाली सावित्री नामक महिला ने आरोप लगाया कि आठ अगस्त को पूर्व सपा विधायक इंदल कुमार रावत, उनके परिवार के कई सदस्यों व अन्य साथियों ने लाठी-डंडे, हथौड़े, तमंचे व अन्य अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर उसके घर पर धावा बोल दिया। उसके व उसकी बेटियों से मारपीट, छेड़छाड़ व दुर्व्यवहार कर सभी को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक महिला का कहना है कि

चौख-पुकार सुनकर फैजान खान, राजकुमार व कुछ अन्य लोगों ने हमलावरों को ललकारा।

इसके बाद पास-पड़ोस के लोगों की भीड़ मौक पर इकट्ठा होने लगी जिससे श्रवकारक पूर्व विधायक इंदल रावत और उनके साथी गाली-गलौज करते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। सावित्री का आरोप है कि यह पूरा षडयंत्र और हमला उसके घर पर अवैध कब्जा करने के मकसद से किया गया। सूत्रों ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

## 'प्रधान का पति बैठक में शामिल हुआ तो छिन जाएगी प्रधानी'

सहारनपुर, 23 अगस्त (जनसत्ता)।

जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज सिंह ने सोमवार को कहा कि यदि महिला प्रधान की अध्यक्षता में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में उनका पति शामिल होता है तो महिला प्रधान से प्रधानी का पद छिन लिया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी ने कहा कि विभाग को यह शिकायतें मिल रही हैं कि महिला प्रधानों का कामकाज उनके पति देख रहे हैं और अनेक बैठकों में महिला प्रधान अनुपस्थित हैं और पंचायत का कामकाज देखते हैं अब यह संभव नहीं होगा। सहारनपुर जिले में कुल 884 ग्राम पंचायत हैं इनमें से 188 पंचायतों में सामान्य जाति की महिला प्रधान हैं। 102 में पिछड़ी जाति की महिला प्रधान हैं और 86 पंचायतों में अनुसूचित जाति की महिला प्रधान हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र सिंह राज ने कहा कि अब पंचायतों का कामकाज शासकीय मानकों के मुताबिक ही चलेगा।

**PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING**  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रायन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266  
शाखा कार्यालय : तीसरा तल, कैपिटल हाऊस बिल्डिंग, 2-लिनक मार्ग, लखनऊ-226001

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8(1) देखें)  
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

**जैसा कि,** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने सरकारी अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि **13.05.2021** जारीकर अध्याधारक **रव. राकेश श्रीवास्तव एवं अध्याधारक मोहित श्रीवास्तव** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **₹. 21,74,603.34/-** (रुपये इकतीस लाख चौदह हजार छह सौ तीन एवं चार पैसे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अध्याधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अध्याधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **19 अगस्त 2021** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अध्याधारक को तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय को बकाया **₹. 21,74,603.34/-** (रुपये इकतीस लाख चौदह हजार छह सौ तीन एवं चार पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। अध्याधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
सम्पत्ति के सभी हिस्सा एवं पार्सल जिसमें खसरा नं. 514 B के हिस्से पर निर्मित घर, 816 वर्ग Ft (75,836 वर्ग मीटर), भीमोतला खारिका बार्ड, जिला लखनऊ शामिल है।  
सीमाएं:  
उत्तर द्वारा : अन्य का मकान  
दक्षिण द्वारा : शैशी उपाय का प्लॉट  
पूर्व द्वारा : 10 Feet चौड़ा रोड  
पश्चिम द्वारा : अन्य का मकान  
दिनांक: 19.08.2021  
स्थान : लखनऊ  
प्राधिकृत अधिकारी  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING**  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रायन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266  
शाखा कार्यालय : तीसरा तल, कैपिटल हाऊस बिल्डिंग, 2-लिनक मार्ग, लखनऊ-226001

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8(1) देखें)  
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

**जैसा कि,** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने सरकारी अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि **13.05.2021** जारीकर अध्याधारक **विवेक कुमार सिंह, संगीता सिंह एवं हर हर मन्दादेव** इत्क के स्वामित्व के द्वारा उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **₹. 77,34,612.46/-** (रुपये सतहत्तर लाख चौतीस हजार छह सौ बारह एवं चत्तारसी पैसे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अध्याधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अध्याधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **19 अगस्त 2021** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अध्याधारक को तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय को बकाया **₹. ₹. 77,34,612.46/-** (रुपये सतहत्तर लाख चौतीस हजार छह सौ बारह एवं चत्तारसी पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। अध्याधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
सभी भाग एवं पार्सल की सम्पत्ति के साथ संपत्ति क्रमांक संख्या 17 / 153, सेक्टर-17, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016.  
सीमाएं:  
उत्तर द्वारा : निवास नं. 17 / 152  
दक्षिण द्वारा : निवास नं. 17 / 154  
पूर्व द्वारा : EWS निवास  
पश्चिम द्वारा : 12 मीटर चौड़ा रोड  
दिनांक: 19.08.2021  
स्थान : लखनऊ  
प्राधिकृत अधिकारी  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**KHANDELWAL EXTRACTIIONS LIMITED**  
CIN: L24214UP1981PLC05282  
Regd. Office: 5147, Nayagarh, Kanpur-208001  
Email: kelpnp@yahoo.com  
Website: www.khandelwalextractions.com

**PUBLIC NOTICE TO THE SHAREHOLDERS**

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 25th September, 2021 at 4.00 P.M. at 50 MG Bungalow, W Block, Kashi Nagar, Kanpur-208014 to transact the business as set out in the Notice.

The 39th AGM notice along with the Annual Report 20-21 will be sent only by email to all those members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA or with their respective Depository Participants (DP). The members holding shares in physical form can get their email id registered by writing to the Company with details of folio number and attaching self attested copy of PAN card at kelpnp@yahoo.com or to RTA at rta@nikanik.com and members holding shares in demat form can get their email id registered with the concerned DP.

The instructions for casting vote through remote e-voting or voting during AGM are provided in the notice of 39th AGM. The 39th AGM Notice along with the Annual Report 2020-21 will be made available on the website of the Company at [www.khandelwalextractions.com](http://www.khandelwalextractions.com) and website of BSE Ltd. at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and website of CDSL at [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com).

For Khandelwal Extractions Limited  
Mohit Srivastava  
(Company Secretary)

Place: Kanpur  
Date: 23.08.2021

**PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING**  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रायन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266  
शाखा कार्यालय : तीसरा तल, कैपिटल हाऊस बिल्डिंग, 2-लिनक मार्ग, लखनऊ-226001

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8(1) देखें)  
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

**जैसा कि,** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने सरकारी अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि **31.05.2021** जारीकर अध्याधारक **सिमलेश मिश्रा एवं निरम मिश्रा** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **₹. 16,97,777.03/-** (रुपये सोलह लाख सत्तानवे हजार सात सौ सत्तर एवं तीन पैसे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अध्याधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अध्याधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **19 अगस्त 2021** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अध्याधारक को तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय को बकाया **₹. 16,97,777.03/-** (रुपये सोलह लाख सत्तानवे हजार सात सौ सत्तर एवं तीन पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। अध्याधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
सभी भाग एवं पार्सल की सम्पत्ति के साथ संपत्ति क्रमांक संख्या 17 / 153, सेक्टर-17, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016.  
सीमाएं:  
उत्तर द्वारा : निवास नं. 17 / 152  
दक्षिण द्वारा : निवास नं. 17 / 154  
पूर्व द्वारा : EWS निवास  
पश्चिम द्वारा : 12 मीटर चौड़ा रोड  
दिनांक: 19.08.2021  
स्थान : लखनऊ  
प्राधिकृत अधिकारी  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING**  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रायन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266  
शाखा कार्यालय : तीसरा तल, कैपिटल हाऊस बिल्डिंग, 2-लिनक मार्ग, लखनऊ-226001

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8(1) देखें)  
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

**जैसा कि,** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने सरकारी अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि **15.05.2021** जारीकर अध्याधारक **रव. मनजीत सिंह** के कानूनी वारिस एवं अध्याधारक **मुरीध कौर एवं लाफ़ केंपिट** के स्वामित्व के द्वारा उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **₹. 23,89,977.31/-** (रुपये तेइस लाख नवासी हजार नौ सौ सत्तर एवं इकतीस पैसे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अध्याधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अध्याधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **21 अगस्त 2021** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अध्याधारक को तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय को बकाया **₹. 23,89,977.31/-** (रुपये तेइस लाख नवासी हजार नौ सौ सत्तर एवं इकतीस पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। अध्याधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
सम्पत्ति के सभी हिस्सा एवं पार्सल प्लॉट नं. 506, 5 वल, परीसर नं. 117 / एम / 5, काकादेव रावतपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208019.  
सीमाएं:  
उत्तर द्वारा : सीडिया  
दक्षिण द्वारा : प्लॉट नं. 506  
पूर्व द्वारा : सामान्य मार्ग  
पश्चिम द्वारा : आसमान तक खुला  
दिनांक: 21.08.2021  
स्थान : कानपुर  
प्राधिकृत अधिकारी  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING**  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रायन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266  
शाखा कार्यालय : तीसरा तल, कैपिटल हाऊस बिल्डिंग, 2-लिनक मार्ग, लखनऊ-226001

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8(1) देखें)  
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

**जैसा कि,** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने सरकारी अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि **13.05.2021** रव. **अरविंद कुमार यादव** के कानूनी उत्तराधिकारी एवं अध्याधारक **अपूर्वा श्रीवास्तव** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **₹. 14,41,393.45/-** (रुपये चौदह लाख इकतीस हजार तीन सौ तेरानवे एवं पाँतालीस पैसे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अध्याधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अध्याधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **19 अगस्त 2021** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अध्याधारक को तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय को बकाया **₹. 14,41,393.45/-** (रुपये चौदह लाख इकतीस हजार तीन सौ तेरानवे एवं पाँतालीस पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। अध्याधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
सभी भाग एवं पार्सल की सम्पत्ति के साथ प्लॉट नं. 222, खसरा नं. 8,12,14,17 एवं 18 परगना मोहाना, गेहसील बीकेटी, गांव कम्बलाबाद, बदायी, लखनऊ यूपी-226026, में स्थित है, क्षेत्रफल 65.05 वर्गमीटर।  
सीमाएं:  
उत्तर द्वारा : सोसायटी का प्लॉट  
दक्षिण द्वारा : 15 FT चौड़ा रोड  
पूर्व द्वारा : खुला अरजी  
पश्चिम द्वारा : राजा राम की निवास  
दिनांक: 19.08.2021  
स्थान : लखनऊ  
प्राधिकृत अधिकारी  
आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

### PUBLIC ANNOUNCEMENT



## FINCARE SMALL FINANCE BANK LIMITED

Our Bank was incorporated as Banas Fincare Private Limited at Palanpur, Gujarat as a private limited company under the Companies Act, 1956, and a certificate of incorporation was granted by the Assistant Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli on April 5, 1995. The name of our Bank changed from Banas Fincare Private Limited to Disha Microfin Private Limited as a result of change in management of our Bank and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was granted by the Assistant Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli on March 26, 2010. On October 7, 2015, our Bank was granted an in-principle approval by the RBI to convert into a small finance bank in the private sector under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. Subsequently, our Bank was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the EGM held on November 29, 2016, and a certificate of incorporation consequent upon conversion to public limited company was granted by the Registrar of Companies, Gujarat at Ahmedabad ("RoC") on December 13, 2016. Thereafter, our Bank was granted a license by the RBI on May 12, 2017, to carry on small finance bank business in India in terms of Section 22 (1) of the Banking Regulation Act, 1949. Consequently, the name of our Bank changed from Disha Microfin Limited to Fincare Small Finance Bank Limited, and on June 14, 2017 a fresh certificate of incorporation pursuant to change of name, was granted by the RoC. Our Bank commenced its operations as a small finance bank with effect from July 21, 2017. Our Bank was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated March 28, 2019 issued by the RBI. For further details, see "History and Certain Corporate Matters" on page 177 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: 301-306, 3<sup>rd</sup> Floor, Abhiject -V, Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Ahmedabad - 380 006, Gujarat, India; Tel: +91 79 4001 1000

Corporate Office: 5<sup>th</sup> Floor, Bren Mercury, Kaikondanahalli, Sarjapur Main Road, Bengaluru - 560035, Karnataka, India; Tel: +91 80 4250 4444; Website: [www.fincarebank.com](http://www.fincarebank.com); Contact Person: Shellya Kothari, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: [sfbcompsc@fincarebank.com](mailto:sfbcompsc@fincarebank.com); Corporate Identity Number: U67120GJ1995PLC025373

### ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED MAY 8, 2021 NOTICE TO INVESTORS (THE "ADDENDUM")

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF FINCARE SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER" OR "RSBL") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹13,300 MILLION ("OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE BY OUR BANK OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹3,300 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹10,000 MILLION ("OFFER FOR SALE") BY FINCARE BUSINESS SERVICES LIMITED ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "OFFERED SHARES"). THIS OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●] OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"), THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". OUR BANK AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER MAY, IN CONSULTATION WITH THE MANAGERS, OFFER A DISCOUNT OF UP TO ₹[●] TO THE OFFER PRICE (EQUIVALENT OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE AT LEAST [●] AND [●]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

Potential Bidders may note the following:

- The Draft Red Herring Prospectus dated May 8, 2021 ("Draft Red Herring Prospectus") currently includes details of the restated financial statements as at and for the nine month period ended December 31, 2020 and financial years ended March 31, 2020, 2019 and 2018. The restated financial statements included in the Draft Red Herring Prospectus depicts the preliminary impact of COVID-19 on the financial performance of the Bank only for the financial year ended March 31, 2020 and the nine month period ended December 31, 2020. Accordingly, the section titled "Financial Statements" on page 234 of the Draft Red Herring Prospectus has been updated to include the restated financial information of the Bank as of and for the full preceding financial year, being the financial year ended March 31, 2021 and the three month period ended June 30, 2021 and June 30, 2020, which takes into account the impact of COVID-19 for the immediate financial year and the three month periods ended June 30, 2021 and June 30, 2020.
- The Draft Red Herring Prospectus currently includes certain financial measures and certain other statistical information relating to Bank's operations and financial performance for the nine month period ended December 31, 2020 and financial years ended March 31, 2020, 2019 and 2018 depicting the preliminary impact of COVID-19 on the operations and financial performance of the Bank for a nine month period only and therefore the section titled "Selected Statistical Information" on page 214 of the Draft Red Herring Prospectus has been updated to provide the impact of COVID-19 on the operations and financial performance of the Bank as at and for the immediate financial year and the three month periods ended June 30, 2021 and June 30, 2020.
- In light of the updated restated financial information of the Bank, the section titled "Our Business" on page 133 of the Draft Red Herring Prospectus, has been updated to reflect the key updates pertaining to the operational and financial performance of the Bank for the subsequent periods up to the three month period ended June 30, 2021.
- The section titled "Our Management" on page 186 of the Draft Red Herring Prospectus has been updated to reflect the addition of a new Director and a Key Managerial Personnel, as well as to reflect certain factual updates to the disclosures being made in the section as on date of the Addendum.

Potential Bidders may note that in order to assist the Bidders to get a complete understanding of the updated information, the relevant portions of the sections titled "Our Business", "Our Management", "Selected Statistical Information", and "Financial Statements" have been included in the Addendum.

The above changes are to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and accordingly their references in the Draft Red Herring Prospectus stand amended pursuant to the Addendum. The information in the Addendum supplements the Draft Red Herring Prospectus and updates the information in the Draft Red Herring Prospectus, as applicable. Please note that the information included in the Draft Red Herring Prospectus including to the extent stated in the Addendum, will be suitably updated, as may be applicable in the Draft Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges. Investors should read the Red Herring Prospectus as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges before making an investment decision in the Offer. All capitalised terms used in the Addendum shall,

